VISION IAS

www.visionias.in

11 SEP 2019

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1247)

Name of Candidate	Ravi Kumar Sihag		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	168117
Center	MN	Date	11/09/19

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Mention the structure and functions of NITI Aayog. Also, comment on its contemporary relevance. **(150 words) 10**

नीति (NITI) आयोग की संरचना और प्रकार्यों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर भी टिप्पणी कीजिए।

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को बदलते परिप्रेक्ष्य में विकास को बढ़ाने के लिये योजना आयोग के स्थान पर 'नीति आयोग' का गठन किया।

संरचना

अध्यक्ष (प्रधानमंत्री)
|
पूर्णकालिक सी. ई. ओ
|
- पूर्णकालिक सदस्य
- विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ (अधिकतम 2)
- चार केन्द्रीय मंत्री
- अन्य आमंत्रित सदस्य।

शासी परिषद - इसमें समस्त राज्यों की भागीदारी होती है। इसमें भी टीम इंडिया शाखा आदि प्रमुख शाखाएँ होती हैं।

प्रकार्य - राष्ट्रीय विकास एजेंडा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख महत्व देते हुए राज्यों की संपूर्ण भागीदारी के साथ नीतियों, रणनीतियों का निर्माण करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ii) गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ ग्रामीण विकास हेतु योजनाएँ बनाना।

(iii) आवश्यक विशेषज्ञों का सहयोग लेकर 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न इंडेक्सों व डेटा की सहायता से योजना निर्माण करना।

(iv) योजनाओं का मूल्यांकन, आवीक्षण करना।

प्रासंगिकता

1. सहकारी संघवाद में सहायक।
2. प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में सहायक।
3. बॉटम अप एप्रोच के साथ-साथ लक्ष्य आधारित नीति निर्माण।
4. नवाचारी विचारों का थिंक टैंक।

इस प्रकार उपर्युक्त प्रासंगिकता के साथ-साथ इसे कानूनी रूप देना; वित्त आयोग के समयावधि के साथ 'को-टर्मिनस' करना; फंड में वृद्धि करना समय की मांग है जो इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Critically discuss the practice of setting up Fast Track Courts to reduce pendency of cases in the judiciary. **(150 words) 10**

न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली से तात्पर्य विशिष्ट मामलों के 'तीव्र निस्तारण' के लिये सामान्य न्यायालय प्रणाली से इतर विशिष्ट न्यायालय बनाने की प्रणाली।

प्रमुख केस - बलात्कार, चेक बाउंस, आयकरों से जुड़े वादों पर शीघ्र न्याय देना।

भारत के 11वें वित्त आयोग द्वारा भारत में अनेक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की अनुशंसाएँ दी गई थी। ये राज्य सरकारों के अधीन वित्तपोषण, स्थापना आदि पर निर्भर करते हैं -

महत्व

(i) तीव्र वाद निस्तारण।
(ii) न्यायालयों पर बोझ को कम करना।
(iii) विशिष्ट वादों, जिनमें जटिल विशेषज्ञता की ज़रूरत है, का तीव्रता से समाधान करना।
(iv) न्यायधीशों का विशिष्टता अर्जित करना।
उदाहरण के लिये बेस्ट बेकरी केस,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जेसिका लाल मर्डर केस आदि में इन न्यायालयों द्वारा विशेष भूमिका निभाई गई।

चुनौतियाँ - दिल्ली विश्वविद्यालय के हालिया शोध के अनुसार ये न्यायालय अपनी भूमिका निभाने में उतने सफल नहीं रहे हैं -

(i) राज्यों के वित्त पर निर्भरता

(ii) लंबितता - अब तक स्थानान्तरित 39 लाख मामलों में 6.5 लाख लंबित हैं।

(iii) अवसंरचना का अभाव।

(iv) तदर्थ नियुक्ति व 'स्थायीकरण' का अभाव

आगे की राह

- 14वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय अंतरण द्वारा राज्यों को 6000 से अधिक कोर्ट स्थापित करने की अनुशंसा की थी।

- इसके साथ वित्त व अवसरंचना पक्ष पर राज्यों को ध्यान देना चाहिये।

अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी इन्हें सुदृढ़ करना चाहिये ताकि संविधान के ~~की~~ 'न्याय' के मूल्य की प्राप्ति की जा सके।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Highlight the challenges faced by lower judiciary in India and suggest measures for enhancing their productivity. (150 words) 10

भारत में निचली अदालतों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव दीजिए।

आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार निचली अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं जो भारत में 'सार्वभौमिक न्याय प्राप्ति' में प्रमुख रूप से बाधक है। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों व जिला न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया का उल्लेख है।

प्रमुख चुनौतियाँ

① नियुक्ति में लंबितता के मुद्दे - राज्य उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग में समन्वय का अभाव।

② वादों की लंबितता

③ अवसंरचना का अभाव

④ न्यायधीशों की संख्या - देश में प्रति लाख जनसंख्या पर 20 ही न्यायधीश हैं जबकि विधि आयोग के अनुसार 50 होने चाहिये।

⑤ वादों का पर्याप्त डेटा संग्रहण व विश्लेषण का अभाव - उदाहरण के लिये आर्थिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समीक्षा के अनुसार फौजदारी मामलों की संख्या दीवानी मामलों से अधिक है।
(6) तकनीक का प्रयोग न होना।

उपाय

(1) नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी व तीव्र बनाया जाये।
(2) 'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' की स्थापना कर न्यायाधीशों की कमी पूरी की जाये।
(3) 'राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड' को सुदृढ़ बनाकर डेटा विश्लेषण कर लंबित मामलों पर केन्द्र किया जाये।
(4) प्रशासनिक कार्यों हेतु 'राष्ट्रीय न्यायिक व अधिकरण सेवा' का गठन।
(5) कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नवीनतम तकनीकों का प्रयोग।

उपर्युक्त सभी सुधारों को न्यायालय सुधारों के परिप्रेक्ष्य में व्यय बढ़ाकर ही किया जा सकता है, (हालिया GDP का 1% से कम) ताकि अवसंरचना व मानव संसाधन मजबूत हों।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Assess the need to formalise the process of post-legislative scrutiny to improve the effectiveness of laws. **(150 words) 10**

कानूनों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए विधि-निर्माण पश्चात् संवीक्षा की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।

लोकतंत्र में जीवंतता व अधिक जन भागीदारी के लिये आवश्यक है कि संसद द्वारा विधि निर्माण के पश्चात भी त्रुटिपूर्ण विधियों के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक संशोधन प्रेषित किये जा सकें।

विधि निर्माण पश्चात संवीक्षा का महत्व

(1) जन-भागीदारी में वृद्धि।
(2) विधि के प्रभावों का विवेचन।
(3) समावेशन व हितधारकों की अपेक्षाओं का समाधान करने के लिये।
(4) कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिये।

भारत में ऐसी कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया जा सके। हालिया सन्दर्भ में यह कार्य आवश्यकता आधारित व तदर्थ आधार पर किया जाता है।

औपचारिक बनाने के लाभ —

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(i) क्रियान्वयन में सुगमता।

(ii) जनता के वृहद् इनपुट पर कार्य किया जा सकेगा।

(iii) मांगों को और अधिक बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।

(iv) प्रशासन में अनुक्रियाशीलता का समावेश किया जा सकेगा।

चुनौतियाँ

(i) व्यापक विविधता।

(ii) डेटा संग्रहण की समस्या।

(iii) बड़े कच्चे डाटा को संसाधित करने की समस्या।

(iv) अनेक विधियों के संबंध में व्यापक व्यय, अवसंरचना व मानव संसाधन की जरूरत होगी।

अतः समय की मांग है कि स्विटजरलैंड की भांति भारत भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के तत्वों को समाहित कर व्यापक तकनीक प्रयोग; NGO जुड़ाव के द्वारा इस प्रक्रिया को औपचारिक बनाये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Discuss the potential of Artificial Intelligence (AI) in improving the effectiveness of e-governance in India. **(150 words) 10**

भारत में ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता में सुधार लाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की क्षमता की विवेचना कीजिए।

ई-गवर्नेंस प्रणाली से तात्पर्य अभिशासन में तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का इस प्रकार उपयोग किया जाये कि प्रशासन को दक्ष, पारदर्शी, जनोन्मुख, अनुक्रियाशील बनाकर 'सुशासन' को प्राप्त किया जा सके।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता :- यह कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीन लर्निंग व विशिष्ट एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर पर आधारित है -

प्रभावशीलता में मदद

1. पारदर्शी प्रशासन - स्वचालित सूचनाओं का प्रेषण करने में।
2. सेवा डिलीवरी में सुधार :- बिग डेटा जैसे अनुप्रयोगों से जुड़ाव कर वंचित वर्गों की सटीक पहचान करने व 'लास्ट डोर डिलीवरी करने में।'

③ सरकारी कर्मचारियों की दक्षता वृद्धि

- कागजी कार्यवाही में कमी
- फाइल संरक्षण समय में कमी
- विवेकाधीन शक्तियों में कमी
- जवाबदेही में वृद्धि

④ नवीन उपागमों से जुड़ाव :- उदाहरण हालिया समय में राजस्थान आदि सरकारों में IBM से 'प्रिसिज़न फार्मिंग' में मदद हेतु समझौता किया है।

⑤ भ्रष्टाचार में कमी (पारदर्शिता वृद्धि से)

⑥ बेहतर संसाधन प्रबंधन में वृद्धि।

इस प्रकार हाल में चर्चा में रहे 'इंडिया इंटरप्राइज मॉडल' के विकास में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वृहद रोल होगा जो शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सरकारी सेवा में आमूलचूल परिवर्तन करेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Despite various reforms in the public grievance redressal mechanisms, their effectiveness remain limited. Discuss. **(150 words) 10**

लोक शिकायत निवारण प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बावजूद, उनकी प्रभावशीलता सीमित बनी हुई है। चर्चा कीजिए।

लोक शिकायत निवारण प्रणाली से तात्पर्य है- प्रशासन द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की अपर्याप्तता, विलंब, गुणवत्ता से उपजे जन-असंतोष का निवारण करने की प्रणाली।

भारत में इस प्रणाली हेतु लोकपाल, सिटीजन चार्टर जैसी प्रणालियाँ मौजूद हैं-

किये गये सुधार

① सांस्थानिक सुधार - लोकपाल का गठन।
- सिटीजन चार्टर का निर्माण (विभिन्न राज्यों में)।

② कानूनी सुधार :- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन करना।

③ तकनीकी सुधार :- ई-शिकायत प्रणाली का विकास करना।

④ सामाजिक समावेशन के संबंध में 'सामाजिक अंकेक्षण' जैसी प्रणालियाँ।

प्रभावशीलता की सीमितता

① सबसे बड़ा कारण जनता में जागरूकता

का अभाव है।

② विभिन्न प्रणालियों में वंचित वर्गों हेतु विशिष्ट हस्तक्षेपों का अभाव है जैसे सिटीजन चार्टर में दिव्यांगों व वृद्धजनों हेतु विशिष्ट प्रावधान नहीं है (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग)

③ स्थानीय भाषा में कार्यवाही का मुद्दा।

④ प्रशासनिक शिथिलता से जुड़े मुद्दे।

⑤ विभिन्न सुधार समय-सापेक्ष नहीं है, उनमें समयानुरूप परिवर्तन नहीं है।

अतः द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अनुशंसित सेवोत्तम मॉडल के साथ आधुनिक सिटीजन चार्टर के साथ विभिन्न NGO व सिविल समाजों से जुड़कर व्यापक जन जागरूकता द्वारा इसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

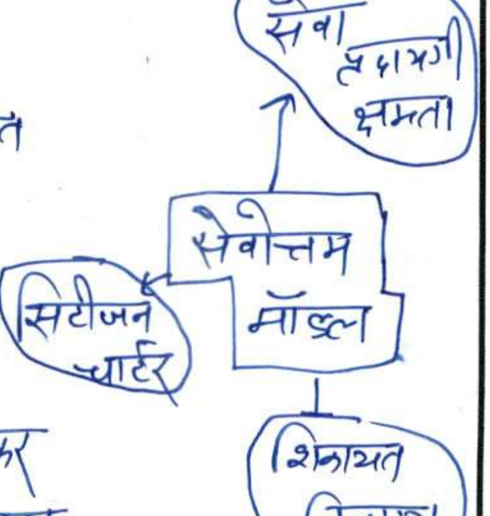

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Explaining the factors that contribute to trafficking of women and children in India, highlight the steps taken in recent times to combat it. **(150 words) 10**

भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी में योगदान देने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए, इससे निपटने के लिए हाल के दिनों में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए।

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार अनैतिक व्यापार एवं तस्करी आदि शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत दंडनीय अपराध बनाये जाने चाहिये।

योगदान देने वाले प्रमुख कारक

I गरीबी
- → शहरी प्रवासन ↓ व्यापारिक समूहों व तस्करों का शिकार
- ↓ रोजगार की कमी ↓ आर्थिक कमज़ोरी ↓ तस्करी सुभेद्यता
- → सामाजिक समर्थन कम → अपवर्जन व अलगाव ↓ सौदेबाजी क्षमता में कमी ↓ सुभेद्यता वृद्धि

II भारत का ट्रांजिट हब के रूप में उभरना।

- बांग्लादेश →
- नेपाल →
- म्यांमार →

→ भारत ⇒ खाड़ी देशों में महिला आपूर्ति।

III पितृसत्तात्मकता → ~~बाल~~ लिंगानुपात में कमी - वधू तस्करी को बढ़ावा।

IV वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथाओं का उदय।

हालिया कदम

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग
- बांग्लादेश व म्यांमार से MOU करना

कानूनी
- तस्करी (रोकथाम, निषेध व पुनर्वास) विधेयक
- गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ समन्वय।

संस्थागत सुधार
- 'राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी' को नोडल एजेंसी बनाना।

अन्य प्रयास - संयुक्त राष्ट्र के ड्रग एंड क्राइम अभिसमय की अभिपुष्टि करना।

- जागरूकता अभियान चलाना।

इस प्रकार आर्थिक लाभ की दृष्टि से संगठित अपराधों में तीसरे स्थान के इस व्यापार को मिटाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक सुदृढ़ता, समावेशी विकास, व्यापक जनजागरूकता की जरूरत होगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. With Vector-Borne Diseases (VBDs) reaching epidemic proportions in India, highlight the factors that have led to their emergence. Also, suggest some measures for their effective control and management. **(150 words) 10**

भारत में रोगाणुवाहक-जनित रोग (VBDs) महामारी की तरह उभरकर सामने आये हैं, अतः उन कारकों को रेखांकित कीजिए जिनके कारण इनका उद्भव हुआ है। साथ ही, इनके प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन हेतु कुछ उपायों का भी सुझाव दीजिए।

रोगाणु-जनित रोगों से तात्पर्य है वे रोग जो कि कारक के माध्यम से संचालित होकर मानव स्वास्थ्य का क्षरण करते हैं। उदाहरण के लिये मलेरिया (मादा ऐनीकिलीज द्वारा संचालित), डेंगू आदि रोग।

उद्भव के कारण

① जलवायु :- उष्ण कटिबंधीय जलवायु में ऐसे रोगों का प्रसार अधिक होता है।

② प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़ आदि के कारण व्यापक जल भराव में मच्छरों की वृद्धि।

③ शहरी प्रबंधन → नालियों का उचित प्रबंधन न होना।
→ कचरे का उचित निपटान नहीं होना।
→ स्वच्छता की कमी।

↓ जन जागरूकता का अभाव

④ स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी मुद्दे यथा पर्याप्त

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जाँच का अभाव, दवाओं की अनुपलब्धता आदि।

⑤ ग्रामीण जनता तक समावेशन का मुद्दा।

प्रभावी नियंत्रण व प्रबंधन पक्ष

① 'मल्टी सेक्टोरल दृष्टिकोण' का प्रयोग कर स्वच्छता, स्वास्थ्य, जन जागरूकता पर विशेष बल देना।

② अल्मा आटा घोषणा के प्रमुख पक्ष 'सामुदायिक भागीदारी' पर बल देना।

③ रोग विशिष्ट रणनीति निर्माण - उदा॰ के लिये मलेरिया के लिये विशिष्ट रणनीति का निर्माण किया गया है।

④ स्वास्थ्य पक्ष →
- व्यापक दवा उपलब्धता
- डॉक्टर्स उपलब्धता।
- जाँच पक्ष।

को सुनिश्चित करना।

इन सभी उपायों के साथ इन रोगों के संबंध में व्यापक अनुसंधान (R&D) किया जाना चाहिये ताकि विशिष्ट वैक्सीन विकास कर सतत विकास लक्ष्य -3 को प्राप्त किया जा सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. After years of neglect, rapidly evolving regional strategic realities are now forcing India and Indonesia to coordinate their policies ever more closely. Discuss. **(150 words) 10**

वर्षों की उपेक्षा के बाद, तेजी से विकसित हो रही क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकताएं अब भारत और इंडोनेशिया को और अधिक घनिष्ठता से अपनी नीतियों को समन्वित करने के लिए बाध्य कर रही हैं। चर्चा कीजिए।

भारत व इंडोनेशिया के संबंध केवल आर्थिक न होकर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व राजनीतिक भी है। भारतीय संस्कृति (जैसे रामायण जैसे महाकाव्य) का व्यापक प्रभाव इंडोनेशिया पर पड़ा है:-

उपेक्षा के कारण

① भारत की समाजवादी प्रवृत्ति
② गुट निरपेक्षता
③ दक्षिण पूर्व एशिया पर कम ध्यान।

हालिया क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तविकताएँ

① इंडो-पैसिफिक का बढ़ता महत्व।
② भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'।

③ चीन का क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव एवं दक्षिण चीन सागर तनाव।

④ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) जैसे समझौतों का उदय।

⑤ हिंद महासागरीय वास्तविकताएँ

- पारंपरिक व गैर पारंपरिक खतरे
- मलक्का जलडमरूमध्य की रणनीतिक स्थिति
- भारत का निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरना।
- अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया की निकटता

इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थितियों में भारत व इंडोनेशिया के संबंधों को आगे बढ़ाना अपरिहार्य हो गया है।

प्रयास - (i) हालिया शिखर सम्मेलन।

(ii) इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह पर भारतीय नौसेना को सहूलियत।।

(iii) रणनीतिक व सामरिक समझौते।

अतः केवल रक्षा तक सीमित न रखकर भारत को विस्तृत सांस्कृतिक (P2P), सामाजिक व राजनीतिक संबंधों पर इंडोनेशिया से जुड़ाव करना चाहिये।

10. Despite several attempts at resetting the ties, various barriers continue to be a cause of concern in the India-Nepal bilateral relations. Discuss.

(150 words) 10

संबंधों को पुन: स्थापित करने के कई प्रयासों के बावजूद, भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न अवरोध निरंतर चिंता का कारण बने हुए हैं। चर्चा कीजिए।

रोटी-बेटी का रिश्ता, पारगम्य सीमा, नेपाली लोगों को व्यापक रोजगार उपलब्धता जैसे संबंधों को रखने पर भी भारत व नेपाल में हालिया समय में तनाव बना हुआ है।

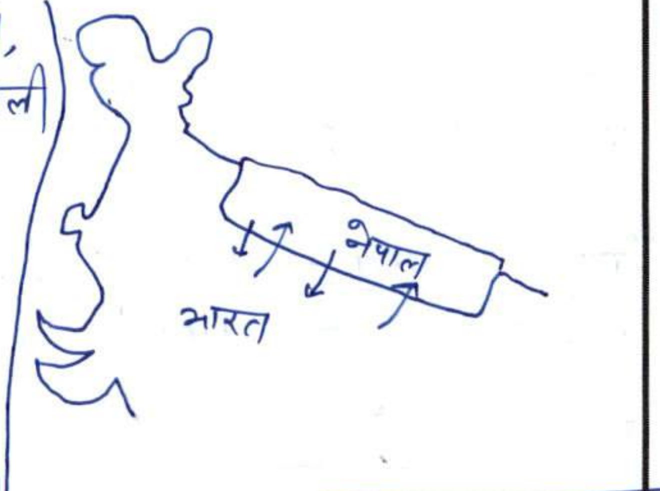

संबंधों में सुदृढ़ता के प्रयास

① नई सरकार (भारत में) बनने पर बिम्सटेक ~~मंत्रियों~~ राष्ट्रप्रमुखों को न्यौता देना।

② बिम्सटेक पर सहयोग।

③ शिखर वार्ताएँ।

④ आर्थिक सहयोग – बजटीय आर्थिक सहायता
– नेपाल भूकंप में आर्थिक मदद।
– काठमांडू तक रेल लिंक का विकास।
– पंचेश्वर बांध परियोजना जैसे तत्व।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अवरोध के तत्व

① चीनी कारक - नेपाल की नई वामपंथी सरकार की चीन से निकटता होने के कारण भारत - नेपाल संबंधों पर प्रभाव पड़ता है।
- नेपाल का 'बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव' में शामिल होना।

② नेपाल - भारत की मित्रता संधि में संशोधन व समीक्षा की नेपाल द्वारा मांग।

③ भारत पर 'बिग ब्रदर' जैसे आरोप।

④ नेपाली संविधान व 'मधेसी समुदाय' संबंधी मुद्दे।

⑤ भारत पर विमुद्रीकरण व अन्य संदर्भों में नेपाल द्वारा 'आर्थिक नाकेबंदी' के आरोप लगाना।

इस प्रकार उपयुक्त मुद्दों के संबंध में भारत को चाहिये कि नेपाल की मांग पर मित्रता की संधि पर पुनर्विचार करे; विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र करे; पीपल टू पीपल संबंध बढ़ाए। इसके साथ ही चीन के साथ बात कर निवेश के संबंध में 2+1 (वुहान सम्मेलन) पर बल दिया जाये।

11. Delineate the differences between pressure groups and interest groups. Citing examples, elaborate on the ways in which pressure groups influence government decisions and policy making in India. **(250 words) 15**

दबाव समूहों और हित समूहों के मध्य अंतर का वर्णन कीजिए। उदाहरणों को उद्धृत करते हुए, उन तरीकों का सविस्तार वर्णन कीजिए जिनके माध्यम से दबाव समूह भारत में सरकारी निर्णयों और नीति-निर्माण को प्रभावित करते हैं।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Highlighting the issues faced by the institutions of local self governance in India, suggest measures that can be taken to improve their effectiveness in the delivery of public goods and services at the grassroot level.

(250 words) 15

भारत में स्थानीय स्व-शासन की संस्थाओं द्वारा समाना की जा रही समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, जमीनी स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता में सुधार लाने हेतु किए जा सकने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

भारत में 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में ग्रामीण व शहरी स्तरों पर पंचायतों व नगरपालिकाओं की स्थापना की गई।

समस्याएँ - इनकी प्रमुख समस्याएँ तीन एफ (3F's) से जुड़ी हैं।

① वित्त की समस्या (Finance) :-
→ राज्य द्वारा पर्याप्त हस्तान्तरण न करना।
→ स्वयं के कर वसूलने में समस्याएँ।
→ वित्तीय प्रबंधन का अभाव।

② प्रकार्यात्मक समस्याएँ (functions)
→ राज्य सरकारों द्वारा 11 वीं व 12 वीं अनुसूची के पर्याप्त विषय इन्हें नहीं सौंपे गये हैं।
- स्वयं के कार्यात्मक संबंध में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- व्यापक मानव संसाधन का अभाव।
- कौशल, विशेषज्ञता का अभाव।
- सरकारी कर्मचारियों का प्रभुत्व।

③ संस्थानिक समस्याएँ (functionaries)

- पैरास्टैटल एजेंसियों की स्थापना। उदा० नगरीय विकास प्राधिकरण।
- कार्यों का अतिव्यापन।
- जिला व महानगर योजना समिति में राज्य विधायकों का प्रभुत्व आदि।

उपर्युक्त समस्याओं के होने के बावजूद जमीनी स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता में सुधारार्थ निम्न उपाय किये जा सकते हैं।

① वितरक के संबंध में

- सार्वजनिक- निजी भागीदारी बढ़ाना। उदा० मिड-डे-मील के संबंध में अक्षय पात्र की भूमिका।
- तकनीक का प्रयोग करना। उदा० आधार प्रणाली।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- पर्याप्त अवसंरचना के साथ कुशल मानव विकास सृजन करना।

② माध्यम के संबंध में :-

→ तकनीकी हस्तक्षेप।

→ व्यापक जन जागरूकता बढ़ाना।

→ पंचायत व नगरपालिका प्रतिनिधियों की व्यापक प्रशिक्षण देना।

③ नागरिकों के संबंध में

→ ग्राम सभा आदि को मजबूत बनाना व बैठकें नियत करना।

→ महिला व वंचित वर्गों को पंचायत व नगरपालिका का महत्व समझाना।

→ 'उचित शिकायत निवारण प्रणाली' व 'सामाजिक अंकेक्षण' को प्रभावी बनाना।

हालिया समय में ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम पंचायत विकास परियोजना, अमृत मिशन जैसे सरकारी प्रयास सराहनीय है। इनके साथ-साथ राज्य सरकारों को स्थानीय संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. The recent amendment to the Right to Information Act, 2005 will weaken the act and undermine the authority of Information Commissioners. Discuss. **(250 words) 15**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में हालिया संशोधन इस अधिनियम को कमजोर बनाएगा और सूचना आयुक्तों के प्राधिकार को क्षीण करेगा। चर्चा कीजिए।

सूचना का अधिकार एक नागरिक मार्गद्वार है जो शासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता का समावेशन कर गोपनीयता की संस्कृति से पारदर्शिता की संस्कृति का मार्ग प्रशस्त करता है।

हालिया संशोधन

① मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा उनका दर्जा 'मुख्य चुनाव आयुक्त' व अन्य चुनाव आयुक्तों से कम किया गया है।

② मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के पद की शर्तें, वेतन भत्ते, सेवाशर्तें आदि केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से तय की जायेंगी।

③ राज्य सूचना आयुक्तों के संबंध में भी यही अधिसूचना प्रभावी होगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संशोधन का सी. आई. सी. के प्राधिकार पर प्रभाव :-

① वेतन कम होने पर कुशल व दक्ष लोग इस पद हेतु आवेदन नहीं करेंगे।

② कार्यकाल की अनिश्चितता प्राधिकार पर प्रभाव डालेगी।

③ अधिकार में सरकारी हस्तक्षेप का प्रभाव बढ़ सकता है।

④ अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में सूचना आयुक्तों की शक्तियों में कमी हो सकती है।

⑤ मनमाने व राजनीति प्रेरित बर्खास्तगी से इंकार नहीं किया जा सकता।

सूचना के अधिकार के संबंध में

① संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 की प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ेगा।

② पद व सेवा शर्तों के सुरक्षाभाव की

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थिति में सूचना आयुक्त अधिकार का पर्याप्त संरक्षण नहीं कर पायेंगे।

③ राज्य आयुक्तों पर केन्द्रीय नियंत्रण
जमीनी स्तर पर अधिकार पर प्रभाव डाल सकता है।

हालांकि केन्द्र सरकार द्वारा तर्क दिया गया है कि कानूनी अधिकार को संवैधानिक निकायों के अधिकारों के समक्ष नहीं दिया जा सकता, किन्तु यह तर्क उचित नहीं है क्योंकि चुनाव के अधिकार के साथ साथ सूचना का अधिकार भी अनु० 19 व 21 का अंग है।

आगे की राह - (i) सरकार को सभी हितधारकों से परामर्श करना चाहिये।
(ii) NGO आदि को पुनर्विचार हेतु दबाव बनाना चाहिये।

अतः सरकार को चाहिये कि वह वृहद् लोकहित में इस कानून की समीक्षा करे क्योंकि सूचना का अधिकार गरिमापूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Highlight the process of delimitation in India. Also, throw light on the debates surrounding the delimitation exercise in India. **(250 words) 15**

भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। साथ ही, भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर होने वाले वाद-विवादों पर भी प्रकाश डालिए।

भारत में संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसदीय सीटों का समायोजन इस विधि से किया जायेगा कि राज्यों की जनसंख्या व सीटों का अनुपात सभी राज्यों में यथासंभव एक ही हो। इसी संदर्भ में संसद द्वारा ~~पुनर्सीमन~~ परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है।

[प्रक्रिया]

आयोग का गठन (बहु-सदस्यीय)
↓
वृहद् प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण देश की परिसीमन रिपोर्ट ~~स्टार~~ तैयार करना
↓
संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करना
↓
संशोधन नहीं किया जा सकता व इसकी रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

हालांकि 42वें संशोधन व 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा जनसंख्या नियंत्रण प्रावधानों को लागू करने के लिये 2026 तक राज्यों की सीट संख्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

हालिया वाद-विवाद **जरूरत पर विवाद**

1. भारत में भारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व (एक सदस्य द्वारा)
   - भारत = 15 लाख जनसंख्या / प्रतिनिधि
   - यूरोप = 63000 जनसंख्या / प्रतिनिधि

2. राज्यों में असमानता : राजस्थान का एक प्रतिनिधि 30 लाख जनसंख्या पर है जबकि तमिलनाडु का 18 लाख पर।
   - मतदाता के मत मूल्य में भिन्नता।

3. प्रतिनिधि पर दबाव :
4. समयानुकूल परिवर्तन नहीं।
5. अधिक भार होने पर पर्याप्त ध्यान न देना।

परिसीमन पश्चात- मुद्दे व विवाद

1. दक्षिणी राज्यों को भय है कि जनसंख्या

नियंत्रण के उपायों के बावजूद उनकी सीटें कम हो जायेंगी।

② उत्तर- दक्षिण विभाजन में वृद्धि हो सकती है।

③ अधिक प्रतिनिधियों से संसदीय कार्य व समय का उपयोग प्रभावित होगा।

④ अध्यक्ष की प्रबंधकीय भूमिका पर प्रभाव पड़ेगा।

अतः बदलते समयानुरूप परिसीमन करना चाहिये किन्तु यहाँ पर ध्यान रखना चाहिये कि दक्षिणी राज्यों को भी जनसंख्या नियंत्रण का दंड न भोगना पड़े। साथ ही परिसीमन में प्रवासन जैसे मुद्दों को शामिल करना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Self Help Groups (SHGs) are vehicles of rural development, which help in the upliftment of marginalized groups. Elucidate. Further, mention the constraints faced by SHGs and how they can be addressed. **(250 words) 15**

स्वयं सहायता समूह (SHGs) ग्रामीण विकास के वाहक हैं तथा ये हाशिए पर मौजूद समूहों के उत्थान में सहायता करते हैं। स्पष्ट कीजिए। साथ ही, SHGs द्वारा सामना की जा रही बाधाओं का उल्लेख कीजिए। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जो लघु स्तर पर विभिन्न लोगों से जुड़ाव द्वारा, पारस्परिक आधार पर सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना कर स्व-रोजगार व स्व-आजीविका के समूह पर आधारित होता है।

ग्रामीण विकास के वाहक के रूप में

दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना व अन्य प्रावधानों के द्वारा -

→ ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है।

→ आय में वृद्धि

→ वित्तीय समावेशन में वृद्धि।

– स्वरोजगार व उद्यम की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।

हाशिये के समूहों के उत्थान में - इन का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रमुख योगदान महिला विकास से जुड़ा है। उदा० केरल की 'कुदुम्ब श्री' योजना।

→ आत्मविश्वास में वृद्धि।
⇒ स्व-वित्त पर नियंत्रण।
→ निवेश निर्णयों में वृद्धि।
→ पितृसत्तात्मकता आदि से लड़ने में मदद। उदा० ग्रामीणों द्वारा 'सिलाई सेंटर' आदि का विकास।

अन्य स्तर आदिवासी विकास - उड़ीसा के कालाहांडी आदि जिलो के मॉडल।

प्रमुख बाधाएँ

① कौशल विकास की समस्या।
② ऋण लेने में समस्याएँ।
③ बढ़ते NPA की समस्या।
④ तकनीक से जुड़ाव की समस्या।
⑤ उत्पादों की बाजार लिंकेज की समस्या।
⑥ 'वित्तीय समावेशन' का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपाय - विभिन्न सरकारी योजनाओं में 'कौशल विकास योजना' को अभिसरित करना

(2) जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी का प्रयोग करना।

(3) उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से (अमेजन आदि) जोड़ने के प्रोत्साहन देना।

(4) बैंक-लिंकेज को मजबूत बनाना (कोलेट्रल फ्री ऋण को ~~मजबूत~~ स्वीकृति देना)

उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ 1990 के दशक के बैंक लिंकेज कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्किल इंडिया मिशन व मुद्रा योजना का अभिसरण कर इन्हें स्वयं सहायता समूहों तक लाया जाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. With construction of toilets being only one part of the solution for a clean India, it is time that the Swachh Bharat Mission puts more emphasis on the other facets as well. Discuss. **(250 words) 15**

शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत के समाधान का केवल एक भाग है, अतः अब समय आ गया है कि स्वच्छ भारत मिशन अन्य पहलुओं पर भी अधिक बल दे। चर्चा कीजिए।

स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भारत को खुले में शौच-मुक्त करने, जन जागरूकता आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 2014 में महात्मा गांधी के आदर्शों पर की गई थी।

प्रमुख उद्देश्य

- 2019 तक संपूर्ण भारत को ओ.डी.एफ करना
- व्यापक सूचना, शिक्षा, संचार (IEC) तकनीक का प्रयोग कर व्यवहार परिवर्तन करना।
- निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये परिवेश सृजन करना
- ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना।
- 'मैला ढोने की प्रथा' का उन्मूलन करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों पर दृष्टिपात करने पर हम पाते हैं कि सबसे अधिक सफलता शौचालय निर्माण में मिली है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार लगभग 25 से अधिक राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों में शौचालय पूर्णतया निर्मित किये जा चुके हैं।

किन्तु

- आज भी मैला ढोने की प्रथा विद्यमान है (सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना के अनुसार 1,83000 (लगभग) परिवार)
- ठोस व तरल कचरे की समस्या अधिक विकट है।
- स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को संस्थागत वित्तीय व अन्य स्तरों पर क्रियान्वयन हेतु मजबूत नहीं किया गया है।
- अभिवृत्ति परिवर्तन हेतु 'गहन व्यवहार परिवर्तन संचार' की अनुपलब्धता।

इन स्थितियों में यह आवश्यक हैं कि अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयास भी उतने ही उत्साह से किये जायें।

उपाय ① स्थानीय संस्थाओं को स्वायत्तता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- सामुदायिक भागीदारी व 'नज़ थ्योरी' (व्यावहारिक अर्थशास्त्र) का प्रयोग व्यवहार परिवर्तन में करना।
- ठोस व तरल अपशिष्ट के साथ प्लास्टिक को शामिल कर 'वेस्ट टू एनर्जी' जैसे नवाचारी उपाय करना।
- मैला ढोने की प्रथा
  - → उचित कानून क्रियान्वयन
  - → पुनर्वास
  - → शिक्षा
  - → तकनीक प्रयोग - 'बंदीकूट' जैसे रोबोट आदि का प्रयोग।

इन सभी उपायों को पर्याप्त लचीलापन, युवा सहयोग, अभिसरण जैसे सिद्धान्तों से जोड़कर ही सतत विकास लक्ष्य 6.2 की प्राप्ति कर स्वच्छ समाज की ओर बढ़ा जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Highlight the salient features of Mission Indradhanush. What are the challenges that the mission is facing in its implementation? Suggest measures to address these challenges for progressing towards full immunization coverage. **(250 words) 15**

मिशन इन्द्रधनुष की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यान्वयन में मिशन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? संपूर्ण टीकाकरण प्राप्ति की दिशा में प्रगति करने हेतु इन चुनौतियों को दूर करने के उपायों का सुझाव दीजिए।

देश में टीकाकरण व प्रतिरक्षीकरण को बढ़ाने के लिये 2014-15 से मिशन इन्द्रधनुष को प्रारंभ किया गया था।

प्रमुख विशेषताएँ

① 8 बीमारियों के टीकाकरण को कवर करना जैसे डिफ्थीरिया, टिटनेस, टीबी. आदि।

② विशिष्ट क्षेत्र में 5 अन्य बीमारियों जैसे - जापानी इंसेफेलाइटिस, खसरा आदि का टीकाकरण।

③ स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर मानव संसाधन विकास करना।

④ मिशन तीव्र इन्द्रधनुष के द्वारा कवर न किये गये या छूट गये शहरी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आदि क्षेत्रों को कवर कर सार्वभौमिक टीकाकरण को प्राप्त करना।

⑤ राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर बल।

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

① जनता में अंधविश्वास की मौजूदगी।

② स्वास्थ्यकर्मियों की अज्ञानता व कम प्रशिक्षण के कारण टीकाकरण में हुई विसंगतियाँ उदा॰ हालिया उत्तर-प्रदेश में टाइप-2 पोलियो का मामला।

③ व्यापक जन-जागरूकता का अभाव।

④ टीकों की अनुपलब्धता

⑤ स्वास्थ्य मानव संसाधन का अभाव।

⑥ वित्त से जुड़ी समस्याएँ।

उपाय

① जनजागरूकता प्रसार के लिये डिजीटल तकनीकों का प्रयोग करना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

② टीकों पर अनुसंधान बढ़ाना।

③ मिशन तीव्र इन्द्रधनुष के सफल क्रियान्वयन के साथ टीकों की संख्या बढ़ाकर संपूर्ण जनसंख्या कवर करना।

④ स्वास्थ्य व टीकाकर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।

⑤ 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली' (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में वर्णित) का गठन करना।

⑥ ~~राष्ट्रीय स्वास्थ्य~~ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मियों का समर्पित कैडर तैयार करना।

अन्त में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार स्वास्थ्य व्यय को जी.डी.पी के 6% तक बढ़ाकर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ बनाकर ही सार्वभौमिक टीकाकरण को प्राप्त किया जा सकता है

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Assess the importance of skilling in light of changing economic and demographic structure in India. In this regard, how far has the Skill India Mission succeeded in its mandate. **(250 words) 15**

भारत में बदलती आर्थिक और जनसांख्यिकीय संरचना के आलोक में कौशल सृजन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। इस संबंध में, स्किल इंडिया मिशन अपने अधिदेश में कितना सफल रहा है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 4 के अनुसार भारत में जन्म दर 2.18 है जो प्रतिस्थापन दर के नज़दीक है। इसके अलावा —

(i) 2041 में भारत का जनांकिकीय लाभांश उच्चतम स्तर पर होगा। (59% जनसंख्या)

(ii) वृद्धों की जनसंख्या 2041 तक 16% होगी।

इस सन्दर्भ में - 'जनांकिकीय लाभांश' को प्राप्त करने के लिये अभी से पर्याप्त स्थापित करने चाहिये। क्योंकि —

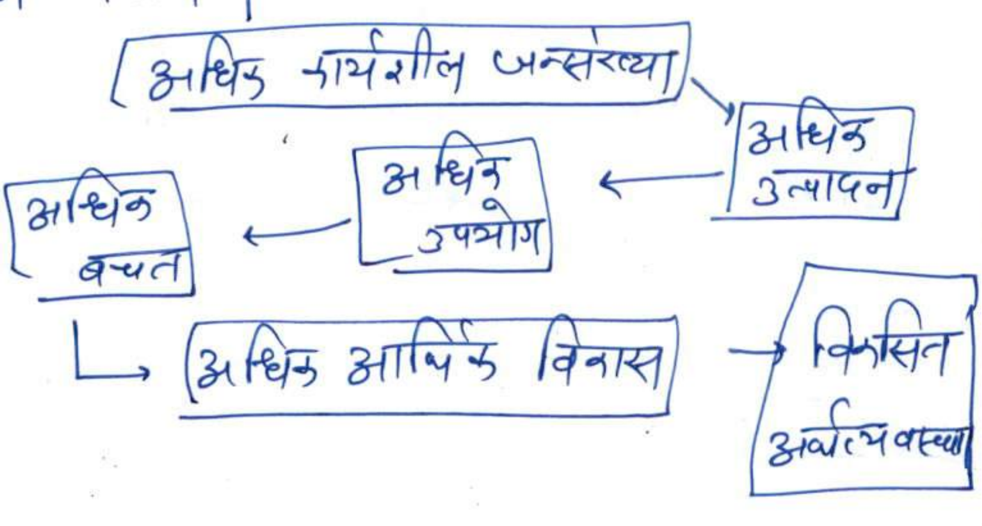

किन्तु इस अवस्था को प्राप्त करने की पूर्वशर्तें है

① श्रम बल कुशल हो।

② श्रम बल गुणात्मक हो → अच्छा स्वास्थ्य आदि।

इसी सन्दर्भ में कौशल विकास का महत्व समझा जा सकता है।

स्किल इंडिया मिशन

इसे वर्ष 2015 में 2022 तक 400 मिलियन (संशोधित) लोगों को कौशल विकास करने के लिये गठित किया गया था।

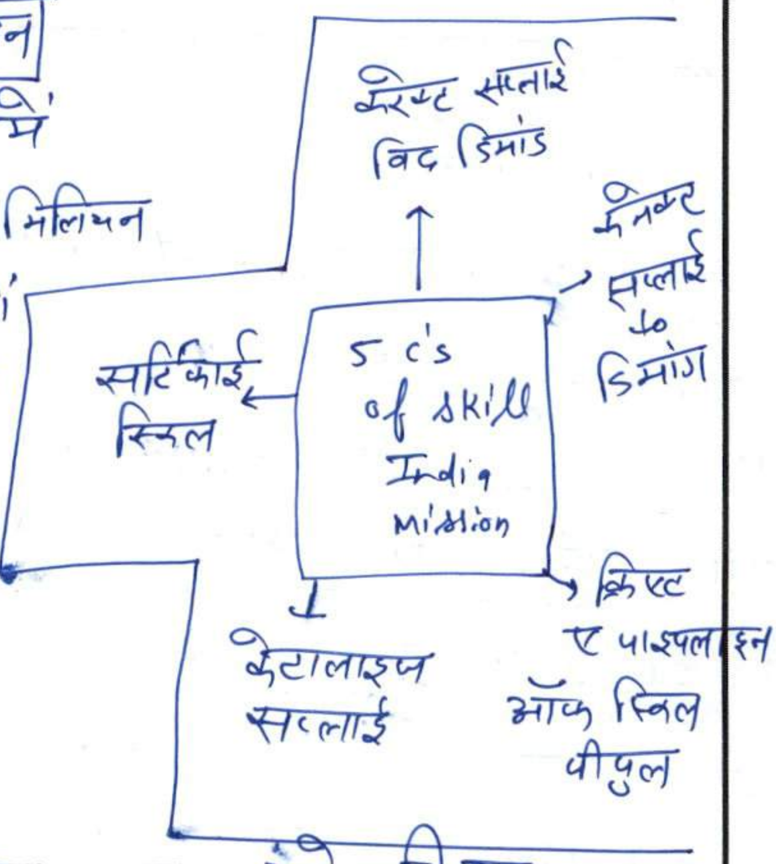

उपलब्धियाँ

① भारत में स्किल प्रदान करने की दर 5-6 मिलियन लोग प्रतिवर्ष है।

② क्षेत्रीय कौशल परिषदें, आई. टी. आई (ITI), राष्ट्रीय स्किल विकास एजेंसी

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आदि संस्थाओं से वहद भारत में उपस्थिति।

③ स्किल प्राप्त किये लोगों की रोजगार प्राप्त करने की दर भी अच्छी है।

चुनौतियाँ

① लक्ष्य से कोसों दूर।

② उद्योग - अकादमी जुड़ाव का अभाव।

③ क्षेत्रीय कौशल परिषदों व ITI's में व्याप्त भ्रष्टाचार।

④ अपर्याप्त प्रत्यायन प्रक्रिया।

इस प्रकार हालाँकि लक्ष्य प्राप्ति में मिशन की उपलब्धियाँ संतोषजनक नहीं हैं फिर भी 'शारदा प्रसाद समिति' की सिफारिशों के आधार पर पर्याप्त संस्थानिक बदलाव, उद्योग जुड़ाव के द्वारा इसे और अधिक मजबूत किया जा सकता है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. What according to you are the reasons that motivated India to create a dedicated Indo-Pacific division in the MEA recently? Also, highlight the challenges for India in the Indo-Pacific region. **(250 words) 15**

आपके अनुसार वे कौन-से कारण हैं जिन्होंने हाल ही में भारत को MEA के तहत एक समर्पित भारत-प्रशांत प्रभाग सृजित करने के लिए प्रेरित किया? साथ ही, भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इंडोपैसिफिक का महत्व बढ़ाने व भारत की केन्द्रीय भूमिका के सन्दर्भ में इस क्षेत्र को तरजीह दी जा रही है।

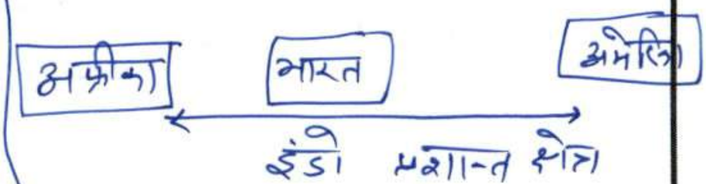

भारत - प्रशांत प्रभाग सृजित करना

① क्षेत्र का व्यापक महत्व

- भारत के आसियान संबंधों में महत्व (एक्ट ईस्ट पॉलिसी)।
- चीन के बढ़ते प्रभाव के संबंध में।
- सभी महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएँ।
- विवादों का क्षेत्र →
  - द० चीन सागर
  - ईरान-अमेरिका टकराव
  - व्यापार-युद्ध

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

② भारत की नीतियों से जुड़ाव

→ एक्ट ईस्ट (प्रधानमंत्री ने शांगरी-ला वार्ता भाषण में आसियान की केन्द्रीय भूमिका का वर्णन किया था।

- नेबरहुड फर्स्ट —→ सार्क
→ बिम्सटेक

③ हिंद महासागर में भारत की अकांक्षाएँ

→ निवल सुरक्षा प्रदाता बनना।

→ ब्लू इकॉनोमी का लाभ उठाना।

- द्वितीय देशों से जुड़ाव

④ दक्षिण-दक्षिण सहयोग में प्रशान्त महासागरीय द्वीपों से जुड़ाव।

इन्हीं कारणों से इस क्षेत्र हेतु नीति निर्माण व क्रियान्वयन के लिये पृथक संभाग का गठन किया गया है।

चुनौतियाँ

① चीन की अकांक्षाएँ :- चीन भारत के क्वैड (QUAD) के साथ-साथ वियतनाम आदि के साथ सुरक्षा जुड़ाव को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अपने विरुद्ध देखता है।

② पारदर्शी, नियम आधारित, व्यापार व्यवस्था स्थापित करने की चुनौतियाँ।

③ अधिक बड़े डोमेन में ध्यान दे पाने की भारत की वित्तीय व अन्य चुनौतियाँ।

④ विश्व के विभिन्न विवादों में भारत उलझ सकता है।

⑤ अमेरिका के परिवर्तनशील रवैये के संबंध में सामंजस्य बैठाने की चुनौती।

⑥ हिंद महासागर की सुरक्षा, SLOC की सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ।

अतः भारत को चाहिये कि आसियान, जापान, द० कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि से द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ कर इस क्षेत्र के समावेशी विकास पर बल दे व नियम आधारित, सम्मानजनक व्यापार व्यवस्था में सहयोग दे।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. For SCO to become a successful regional grouping, it has to overcome bilateral differences between its members and their respective geopolitical calculations. Comment. Also, discuss the role that SCO can play in enhancing India's interest in the Eurasian region. **(250 words) 15**

SCO को एक सफल क्षेत्रीय समूह बनने हेतु, अपने सदस्यों के मध्य के द्विपक्षीय मतभेदों और उनके संबंधित भू-राजनीतिक अपेक्षाओं से उबरना होगा। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के हितों को बढ़ाने में SCO द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका की भी विवेचना कीजिए।

1997 में शंघाई -5 नाम के समूह जो कि बाद में शंघाई सहयोग संगठन के नाम से स्थापित संगठन एक राजनीतिक, सुरक्षात्मक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने वाला समूह है।

SCO की सफलता के लिये आवश्यक है -

① भारत - पाकिस्तान मतभेद।
② भारत - चीन मतभेद
③ बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के संबंध में भारत की आकांक्षाओं का निवारण करना।
④ आतंकवाद (सीमापारीय) के संबंध में विवादों का समाधान करना।
⑤ अफगानिस्तान (पर्यवेक्षक सदस्य) के संबंध में मतभेद

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उपर्युक्त मतभेदों व इनसे संबंधित भू-राजनीतिक अपेक्षाओं को हटाकर ही यह एक सफल क्षेत्रीय समूह बन सकता है।

इसके लिये किये जाने वाले प्रयास

- व्यापक बातचीत को बढ़ावा मिले
- क्षेत्रीय एकता व अखण्डता के साथ संप्रभुता का सम्मान हो।
- आतंकवाद पर चर्चा की जाये।

यूरेशियाई क्षेत्र में भारत के हित व SCO

① आर्थिक हित :- मध्य एशिया के संसाधनों (लौह अयस्क, यूरेनियम) तक पहुँच हेतु।

② सुरक्षा हित :-
आतंकवाद से निपटने हेतु रैट्स (Regional Anti-Terrorist Structure) - ताशकंद जैसी संरचना
- अफगानिस्तान शांति वार्ता के द्वारा सीमा सुरक्षा हित।
- ईरान (पर्यवेक्षक राष्ट्र) के संबंध में

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्णय लिये जा सकते हैं।

③ संयोजकता हित :- मध्य एशिया नीति 2012 के साथ-साथ INSTC व अश्गाबाद समझौते के क्रियान्वयन के लिये SCO की भूमिका अच्छी होगी।

④ भारत की संप्रभुता के हित :- BRI के संबंध में 'चीन पाक आर्थिक गलियारे' (CPEC) के संबंध में।

⑤ ऊर्जा हित :- रूस, चीन व भारत के 'ऊर्जा क्लब' का सुझाव।

⑥ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक हित :- रूस-चीन से संबंधों द्वारा भारत अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय का 'स्वीट स्पॉट' बन सकता है।

इस प्रकार उपर्युक्त हितों के संबंध में SCO की भूमिका उचित होगी किन्तु इसके लिये भारत को रूस व मध्य एशिया के साथ यूरेशियन इकोनोमिक जोन में FTA पर वार्ता भी करनी चाहिये।